न्यूज़ टुडे

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत प्रारंभ "प्रधान मंत्री जन–धन योजना" (PMJDY) के कार्यान्वयन के छह वर्ष पूर्ण हुए

- **वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा लागत को कम करने और पहुंच को व्यापक बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए** वर्ष 2014 में PMJDY का शुभारंभ किया गया था।
- **प्रारंभ में इसे 4 वर्ष की अवधि हेतु** आरंभ किया गया था, परन्तु बाद में कुछ संशोधनों के साथ इसका विस्तार कर दिया गया था:
  - अब इसके अंतर्गत **प्रत्येक परिवार की बजाये प्रत्येक वयस्क व्यक्ति** (जिसका बैंक में खाता नहीं है) का खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - 28 अगस्त 2018 के पश्चात् खोले गए खातों के लिए जारी रूपे (RuPay) कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।
  - **ओवरड्राफ्ट सुविधाओं** की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही, ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया है।
- **अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियाँ:**
  - **कुल PMJDY खाते:** अब तक 40.35 करोड़ (ग्रामीण: 63.6% व महिलाएं: 55.2%) खाते खोले गए हैं।
  - **लगभग 8 करोड़ PMJDY खाताधारक,** विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (direct benefit transfer) प्राप्त करते हैं।
  - **जन धन दर्शक ऐप:** यह बैंक शाखाओं, ATMs, बैंक मित्र आदि जैसे बैंकिंग संपर्क बिंदुओं (touch points) का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित मंच है।

- **PMJDY के मूल सिद्धांत:**
  - **बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन:** न्यूनतम कागजी कार्यवाही (पेपरवर्क), ई–केवाईसी (e-KYC), शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क वसूली आदि के माध्यम से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना।
  - **असुरक्षित को सुरक्षित करना:** निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
  - **गैर–वित्त पोषित का वित्त–पोषण:** सूक्ष्म–बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म–पेंशन और सूक्ष्म–ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- **PMJDY के 6 स्तंभ:**
  - बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच;
  - प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाता;
  - वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम;
  - क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण;
  - सूक्ष्म बीमा; तथा
  - असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार PMJDY को निष्क्रिय तभी माना जाता है जब ग्राहक दो वर्ष से अधिक समय तक खाते में कोई लेन–देन नहीं करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी 'आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund) में 73,615 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं

- इस अंतरण के उपरांत, RBI के **'रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स' (जोखिम प्रावधान लेखाओं)** की संयुक्त क्षमता अब 13.88 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
- **RBI के विभिन्न रिस्क प्रोविजन अकाउंट्स:**
  - **आकस्मिकता निधि (Contingency Fund: CF):** यह विशिष्ट प्रावधान अप्रत्याशित (unexpected) और अनपेक्षित (unforeseen) आकस्मिकताओं को पूर्ण करने से संबंधित है। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास व विनिमय दर नीति परिचालनों से उत्पन्न जोखिम तथा प्रणालीगत जोखिम और रिज़र्व बैंक पर लागू विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न जोखिम शामिल हैं।
  - **मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन लेखा** (Currency and Gold Revaluation Account: CGRA): मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में अस्थिरता से उत्पन्न जोखिम से निपटने के लिए इसका अनुरक्षण (maintain) किया जाता है।
  - **निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा–विदेशी प्रतिभूतियां (Investment Revaluation Account-Foreign Securities: IRA-FS):** यह विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त (unrealised) लाभ या हानि से संबंधित है।
  - **निवेश पुनर्मूल्यांकन लेखा–रुपया प्रतिभूतियां (Investment Revaluation Account-Rupee Securities: IRA-RS):** यह रुपये मूल्य वर्ग की प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन से अप्राप्त लाभ या हानि से संबंधित है।
- इस अंतरण के कारण, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में केंद्र सरकार को **RBI द्वारा अधिशेष (लाभांश) अंतरण में 67.5 प्रतिशत की कमी** आई है।
  - **RBI अधिनियम की धारा 47 के अनुसार,** RBI के लाभ या अधिशेष को विभिन्न आकस्मिक प्रावधानों के निर्माण, RBI के सार्वजनिक नीति अधिदेश (जिसमें वित्तीय स्थिरता अनुमान शामिल हैं) आदि के पश्चात् सरकार को अंतरित किया जाता है।

प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) ने लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निर्वाचनों के लिए एकल मतदाता सूची (common voter list) तैयार करने पर चर्चा आरंभ की है

- कई राज्यों में, पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची **संसद व विधान सभा चुनावों हेतु निर्मित सूची से भिन्न** होती है।
- इस विभेद का कारण यह है कि निर्वाचनों का संचालन दो पृथक–पृथक संवैधानिक निकायों द्वारा किया जाता है:
  - **अनुच्छेद 324(1) के तहत निर्वाचन आयोग (Election Commission: EC),** राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों व संसद, राज्य विधान सभाओं तथा विधान परिषदों के निर्वाचनों हेतु उत्तरदायी है।
  - **अनुच्छेद 243K और 243ZA के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commissions: SECs),** नगरपालिका और पंचायत के निर्वाचनों को संपन्न कराते हैं।
    - SECs, निर्वाचन आयोग के साथ बिना किसी समन्वय के स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए **अपने स्वयं की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु स्वतंत्र** हैं।
    - वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश **को छोड़कर सभी राज्य, स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की नामावली को अपनाते** हैं।
- **एकल निर्वाचन सूची का लाभ:** इससे प्रयास और व्यय के दोहराव से बचाव होता है; मतदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि कई बार एक नामावली में तो उनके नाम दर्ज होते हैं, परन्तु दूसरी में अनुपस्थित होते हैं।
- **PMO ने दो विकल्पों पर चर्चा की है: अनुच्छेद 243K और 243ZA में संशोधन** करना या **राज्य सरकारों को निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अपनाने के लिए सहमत करना।**
- **ज्ञातव्य है कि विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) तथा निर्वाचन आयोग (वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में)** द्वारा भी इस प्रकार की अनुशंसा की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत से कोयले के प्रयोग को शीघ्रता से त्यागने का आग्रह किया है

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि यदि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जीवाश्म ईंधन की बजाये नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) से पूर्ण करता है, **तो वह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में एक वास्तविक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है।**

इस वक्तव्य के मुख्य अंश:

- **कोयले पर:**
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत को सचेत किया है कि कोयले की नवीन नीलामी **अनुत्पादक (counterproductive)** होगी, क्योंकि भविष्य में कोयले की कोई आर्थिक व्यवहार्यता नहीं रहेगी।
  - भारत में **वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत कोयला अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा** और वर्ष 2025 तक यह मात्रा बढ़कर 85 प्रतिशत हो जाएगी।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पर:**
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के संबंध में भारत की उपलब्धियों** तथा **वर्ष 2030 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुँचाने के इसके लक्ष्य** की सराहना की है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश,** प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन में निवेश की तुलना में तीन गुना अधिक रोज़गार सृजित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर:**
  - यदि वर्ष 2015 के **पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य का उल्लंघन** होता है, तो भारत को जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है।
  - भारत द्वारा अधिक तीव्र हीट वेव्स (ग्रीष्म लहर), बाढ़ और सूखे, जल संकट में वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन में कमी का सामना किया जाएगा। ये सभी **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के संदर्भ में भारत के समक्ष बाधा उत्पन्न करेंगे।**
- **ईंधन सब्सिडी पर:**
  - **जीवाश्म ईंधन पर भारत द्वारा प्रदत्त सब्सिडी,** स्वच्छ ऊर्जा पर सब्सिडी की तुलना में लगभग सात गुना अधिक है।

अरुणाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने का संकल्प (resolution) पारित

- छठी अनुसूची में **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम** राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।
  - ये विशेष उपबंध **अनुच्छेद 244** के तहत किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, 'अनुसूचित क्षेत्रों' (पांचवीं अनुसूची) और 'जनजातीय क्षेत्रों' (छठी अनुसूची) के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
  - छठी अनुसूची के तहत आने वाले जनजातीय क्षेत्र **स्वायत्त जिला परिषदों** द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें व्यापक विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।
  - इसके अतिरिक्त, **नागरिकता संशोधन अधिनियम** भी छठी अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रों को छूट प्रदान करता है।
- अरुणाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस संकल्प में 'जनजातियों की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक विधियों, भू-स्वामित्व और भूमि के हस्तांतरण आदि के संरक्षण के लिए **अनुच्छेद 371(H) में विभिन्न उपबंधों को समाविष्ट करने हेतु इसमें संशोधन करने का भी आह्वान** किया गया है।
- **अनुच्छेद 371(H) के अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं।** हालांकि, इसे छठी अनुसूची के समान संवैधानिक लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं।
  - अनुच्छेद 371(H) **राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान करता है।**
  - ऐसे सुरक्षात्मक तंत्र के अभाव में, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में अपनी संस्कृति से पृथक होने और भूमि से विस्थापित होने का भय व्याप्त है।
- **अनुच्छेद 371 से 371(J)** में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं।

अनुच्छेद	संबंधित राज्य
371	गुजरात और महाराष्ट्र
371–A	नगालैंड
371–B	असम
371–C	मणिपुर
371–D एवं E	आंध्र प्रदेश
371–F	सिक्किम
371–G	मिज़ोरम
371–I	गोवा
371–J	कर्नाटक

अन्य सुर्खियाँ

गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य–संचालन नियम, 2019 अधिसूचित (Transaction of Business of the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir Rules] 2019 notified by Ministry of Home Affairs)	❍ इन नियमों के तहत, **"पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो"**, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप–राज्यपाल (Lieutenant Governor: LG) की कार्यकारी शक्तियों के अधीन होंगे। ➢ इस प्रकार, मुख्यमंत्री या मंत्रि–परिषद् का उसकी कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ❍ **LG और एक मंत्री के मध्य मतभेद के मामले में,** मंत्रि–परिषद् द्वारा LG के निर्णय को ही स्वीकार किया जाएगा। ❍ वर्ष 2019 में, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का उत्सादन कर दिया गया था तथा इसे **जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) एवं लद्दाख (विधायिका के बिना) के रूप में दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।**
चैलेंज हंट अंडर NGIS फ़ॉर एडवांस्ड अनिन्हिबिटिड टेक्नोलॉजीज इंटर्नशिप (चुनौती) {Challenge Hunt Under NGIS for Advanced Uninhibited Technology Intervention (CHUNAUTI)}	❍ यह **भारत के टियर–2 शहरों पर विशेष ध्यान देने** के साथ कोरोना महामारी के दौरान और उसके उपरांत उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए उत्पादों एवं समाधानों को खोजने हेतु नेक्स्ट जेनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम (NGIS) के तहत नेक्स्टजेन स्टार्ट–अप चैलेंज प्रतियोगिता है। ➢ NGIS वस्तुतः **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI)** की व्यापक इंक्यूबेशन योजना है। इसका विज़न भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के रूप में परिणत करना है। ❍ इसका उद्देश्य **नियत क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 300 स्टार्ट–अप्स की पहचान करना** और उन्हें 25 लाख रुपये तक का सीड फंड (प्रारंभिक वित्त पोषण) और अन्य सुविधाएं (इंक्यूबेशन सुविधाएं, परामर्श, सुरक्षा परीक्षण सुविधाएं आदि) उपलब्ध कराना है।
भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (India's first international women's trade centre)	❍ इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसरण में **केरल के अंगमाली** (Angamaly) में स्थापित किया जाएगा। ❍ इसका उद्देश्य **महिला उद्यमशीलता को गति प्रदान करने,** महिलाओं को नए व्यवसाय आरंभ करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने तथा उनके उत्पादों का वैश्विक स्तर पर विपणन करने के साथ–साथ **लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है।**
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट {Ease of Doing Business (EODB) Report}	❍ यह **विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक** है। हाल ही में, विश्व बैंक ने EODB रैंकिंग तैयार करने के लिए प्रयुक्त डेटा में अनियमितताओं की सूचना प्रदान की है। ❍ यह 190 अर्थव्यवस्थाओं तथा उप–राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर चयनित शहरों के संबंध में व्यावसायिक विनियमों एवं उनके प्रवर्तन के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करती है। ❍ यह **अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कुशल विनियमन की दिशा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है;** सुधारों हेतु परिमेय (measurable) बेंचमार्क्स प्रदान करती है तथा प्रत्येक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक परिवेश में रुचि रखने वाले **शिक्षाविदों, पत्रकारों, निजी क्षेत्र के शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करती है।** ❍ विश्व बैंक की EODB रैंकिंग 2020 में **भारत** ने **190 देशों में 63वां स्थान (14 स्थानों की वृद्धि की है) प्राप्त** किया है।
ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस या निंद्रा रोग (Human African Trypanosomiasis or sleeping sickness)	❍ हाल ही में, **टोगो (Togo) इस रोग को समाप्त करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का प्रथम देश बन गया है।** ➢ टोगो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, जिसकी सीमा घाना, बेनिन और बुर्किना फासो से संलग्न है। यह दक्षिण में गिनी की खाड़ी तक विस्तृत है। ❍ यह एक **व्यापक उष्णकटिबंधीय रोग** है। यह **एक संक्रमित सी सी (tsetse) मक्खी (ग्लोसिना जीनस/Glossina Genus) के काटने से फैलता है,** जो अफ्रीकी महाद्वीप की देशज प्रजाति है। ❍ यह **36 उप–सहारा अफ्रीकी देशों में एक स्थानिक रोग है।**
महात्मा अय्यंकाली (28 अगस्त 1863–18 जून 1941) {Mahatma Ayyankali (August 28, 1863 - June 18, 1941)}	❍ महात्मा अय्यंकाली **त्रावणकोर, ब्रिटिश भारत (वर्तमान केरल)** के एक समाज सुधारक थे। ❍ **वे 'अस्पृश्य' पुलाया जाति** से संबंधित थे और उन्होंने अपने जीवन काल में जातिगत भेदभाव का सामना किया था। ❍ उन्होंने **साधु जन परिपालन संगम** (निर्धनों की सुरक्षा के लिए संघ) की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से वे अपने स्वयं के विद्यालयों के संचालन हेतु धन जुटाया करते थे। ❍ वे **त्रावणकोर की विधान सभा के सदस्य भी बने थे,** जिसे श्री मूलम लोकप्रिय सभा या प्रजा सभा के रूप में जाना जाता था।
एक भारत श्रेष्ठ भारत (Ek Bharat Shreshtha Bharat)	❍ इसके तहत, **प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ संयोजित किया जाता है,** जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्यौहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक–दूसरे के साथ एक संरचित संलग्नता स्थापित करते हैं। ❍ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं एवं प्रथाओं का ज्ञान राज्यों के मध्य **संवर्धित समझ तथा संबंधों को बढ़ावा देगा,** ताकि भारत की एकता व अखंडता को मजबूत किया जा सके। ❍ इस पहल के लिए **शिक्षा मंत्रालय** को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC